

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 19/2024

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

श्री मघर सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह, गरुनानक स्वीट्स
होटल मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट



उपस्थित:-1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।

2 अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-:निर्णय:-

दिनांक: -12.12.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ हमराह श्री पुरुषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत ग्राम पंचायत मानकसर संगरिया में गुरुनानक स्वीट्स होटल पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित मघर सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये तथा चालु हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि मिठाई तैयार कर विक्रय किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये एचपी कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री इन्द्रजीत पुत्र नक्षत्रसिंह प्रबंधक, गुरुनानक एचपी गैस एजेन्सी, लीलावाली की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी को नोटिस तामील होने के बाद भी दिनांक 05.12.2024 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अनुपस्थिति दर्ज की गयी। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये एचपी कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000

के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:-

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर एचपी कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा एचपी कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 08.90 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मीदलाल मीना)

अपर जिला कलेक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
हनुमानगढ़